

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2010—आश्विन 16, शक 1932

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. 3(ए)-3-10-इक्कीस-ब (एक) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 26 जून 2010 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, तथा अंकों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी

के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, तथा अंक पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द अंक तथा कोष्ठक	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं		शुद्ध शब्द, अंक तथा कोष्ठक जो कि पढ़े जाएं
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1)	(2)	(3)	
वेतन के न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं	620 (5)	30	वेतनमान के न्यूनतम 50 प्रतिशत
shail not be less than 50%	620 (18)	23	shall be 50%
pay	620 (18)	24	payscale

विमल प्रकाश शुक्ल, अपर सचिव.

भाग ४ (ग)—कुछ नहीं